



लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग



बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960, वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक: BRLPS/LSBA-Estt/16/17/50

दिनांक: 17.05.2017

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
राज्य समन्वयक-सह-प्रशासी पदाधिकारी।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, पटना।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय : लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत माह मई एवं जून 2017 में प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले कार्य के संबंध में।

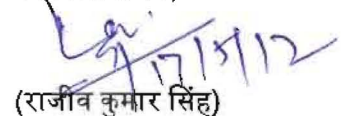
महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सचिव एवं संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा निदेशित किया गया है कि माह मई एवं जून 2017 में सभी जिला द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत निम्न कार्य पूर्ण किये जायें एवं इसकी सूचना IMIS पर अद्यतन की जाय। अगामी महीनों में किए जाने वाले कार्यों की सूची एवं समय सीमा निम्न होगी -

- अस्वच्छ शौचालयों (Insanitary Toilet) का सर्वे एवं उन्हें स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित कर IMIS पर अद्यतन किया जाना - 30 मई, 2017 तक।
- जिले में कार्यरत सभी स्वच्छग्राही की सूचना IMIS पर अद्यतन किया जाना - 30 मई, 2017 तक।
- जिला स्वच्छता प्लान तैयार किया जाना जिसमें क्षमतावर्द्धन, राजमिस्त्री प्रशिक्षण एवं CLTS प्रशिक्षण, IEC कार्य योजना इत्यादि सम्मिलित हो - 22 मई, 2017 तक।
- GEO - Tagging का कार्य प्रारम्भ कर मार्च 2017 तक निर्मित सभी शौचालयों को GEO - Tagging के माध्यम से अद्यतन किया जाना - 30 जून, 2017 तक।
- IMIS पर Duplicate Data की समीक्षा कर उन्हें delete करना - 15 जुलाई, 2017 तक।
- मार्च, 2017 तक घोषित ODF ग्रामों को प्रथम (प्रखण्ड/ग्राम पंचायत स्तर) एवं द्वितीय (जिला स्तर) पर ODF सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजना तथा IMIS में अद्यतन करना - 15 जुलाई, 2017 तक।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार से प्राप्त निदेशों के आलोक में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत उपरोक्त वर्णित कार्या को समय पूर्ण कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,


(राजीव कुमार सिंह)

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA-ES4/16/17/50

दिनांक : 17.05.17

प्रतिलिपि - सभी निदेशक, लेखा-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति / सभी जिला समन्वयक / सभी जिला स्वच्छ भारत प्रेरक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश है कि उपरोक्त कार्यों को ससमय पूर्ण कराने हेतु जिला स्तरीय रणनीति तैयार कर कार्य प्रारम्भ करें।


(राजीव कुमार सिंह)